हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इ हुक्म की तामी जारी हुए
पन्नालाल के कायममुकाम श्रीमती मोहनीदेवी व अन्य बनाम प्रेमसिंह व अन्य राजस्व विविध प्रकरण सं0 **48/2017** **अन्तर्गत धारा 235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम. 1955**	
पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीपक्ष की ओर से श्री यू.एस. गहलोत अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2, 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी. सोनी अधिवक्ता उपस्थित। संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र वाक्यात इस प्रकार है कि प्रार्थीगण पन्नलाल दतक पुत्र उदाराम जाति माली निवासी नयापुरा के कायममुकाम श्रीमती मोहनीदेवी पत्नी स्व. पन्नालाल गहलोत माली निवासी गली नं. 2, नयापुरा, मण्डोर तहसील जोधपुर व अन्य द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध अप्रार्थी प्रेमसिंह पुत्र हरलाल माली निवासी नयापुरा लालसागर जोधपुर व अन्य बाबत् सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर न्यायालय के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 146/2011 (24/2017) ओमदत्त के कायम मुकाम व अन्य बनाम पन्नालाल के कायममुकाम व अन्य अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधि. को सुनवाई के लिए अन्यत्र न्यायालय को मुंतकिल करने का पेश किया जो दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई प्रारम्भ की गई। अप्रार्थी सं. 2 (मोनिका सोलंकी) व अप्रार्थी–3 (ललिता गेहलोत) की ओर से श्री सी.पी. सोनी, सुनिल कच्छवाह अधिवक्तागण उपस्थित हुए। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष स्व. पन्नालाल के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर से राजस्व वाद सं. 146/2011 (24/2017) ओमदत्त के कायममुकाम व अन्य **बनाम** पन्नालाल के कायममुकाम व अन्य के नाम से वर्ष 1996 से विचाराधीन है। स्व. पन्नालाल का देहान्त वर्ष 2014 में होने के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर में पदस्थापित पीठासीन अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कार्य पर प्रार्थीगण का कतई भरोसा नहीं रहा है, न लगातार...	

न्याय मिलने की संभावना है। उपरोक्त प्रकरणो में तारीख पेशी दिनांक 11.10.2017 के बाद आगामी तारीख पेशी पहले अन्य तारीख देकर उसके बाद कांटछांट कर 24.10.2017 को मुकर्र की गई। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 व उनके पतियों द्वारा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लिये जाने के कारण उनको अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना है। बहस के दौरान विचाराधीन वाद में लिखी गई आदेशिकांए की फोटो प्रति पेश करते हुए जाहिर किया कि दिनांक 02.05.17 के पश्चात् पेशी सुनवाई हेतु दिनांक 10.08.17 को मुकर्र की गई। पत्रावली नियत पेशी पर पेश न होकर दिनांक 08.05.17 को पेशी पर ले ली गई तथा आगे की पेशी 29.06.17 में भी कांटछांट उस दिन लोक अदालत में प्रार्थना–पत्र को निर्णित कर दिया गया अर्थात् प्रार्थीगण को नोटिस भी नहीं दिये गये। उक्त आदेशिकांए के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पीठासीन अधिकारी प्रकरण की विधिक प्रकिया के तहत सुनवाई नहीं कर मनमाने तरीके से कर रहा है अतः उनकी कार्यवाही से प्रार्थीगण को विश्वास हो गया है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय से इस प्रकरण में न्याय मिलने की संभावना नहीं है।

अप्रार्थी–2 व 3 के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में बतलाया कि वादीगण ओमदत्त वगैरा द्वारा वाद बाबत् बंटवाड़ा व विक्रय पत्र निरस्त करने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से सही तथ्यों को छुपाकर व मात्र बनावटी तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत करने के करीब 16 वर्ष बाद 2013 में स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 19.11.2013 को एक पक्षीय आदेश प्राप्त कर लिया जिसकी जानकारी अप्रार्थी 2 व 3 को होने पर विचाराधीन वाद एवं प्रार्थना–पत्र में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया तथा माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई कर दिनांक 19.11.13 को दिये गये इकतरफा आदेश को जरिये आदेश दिनांक 03.10.2016 को समाप्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील पेश की गई, परन्तु अपीलीय न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के आदेश दिनांक 03.10.16

लगातार...

पर किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना अप्रार्थी 2 व 3 के प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने के कारण अप्रार्थी 2, 3 के विचाराधीन प्रार्थना–पत्र को निस्तारण करने का आदेश दिया गया एवं तब तक मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का भी आदेश दिया गया। बहस में आगे बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केम्प कोर्ट में दिनांक 29.06.2017 को अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की पालना में अप्रार्थी सं. 2 व 3 तथा प्रार्थीगण के विचाराधीन प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थी सं. 2 व 3 को पक्षकार बनाने का आदेश दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी–2, 3 तथा अन्य के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 245/2016 पुलिस थाना मण्डोर में दर्ज करवाई परन्तु उसमें भी पुलिस ने नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अतः प्रार्थीगण द्वारा झूठे प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के पीठासीन अधिकारी ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में बतलाया गया कि वादी की ओर से दिनांक 17.05.1995 को वाद प्रस्तुत किया गया। दिनांक 17.04.2012 को वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर वाद अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज किया गया व उसी दिन प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 12.06.2012 को प्रतिवादी पन्नालाल की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत होने पर दिनांक 26.06.2012 को इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में अदम पैरवी में खारिज किया व प्रतिवादी के किसी काउंटर वाद नहीं होने से कोई अनुतोष नहीं दिये जाने का आदेश दिया गया। रिपोर्ट में आगे बतलाया कि दिनांक 09.07.2013 को प्रतिवादी पन्नालाल द्वारा आदेश दिनांक 26.06.12 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकरण जोधपुर में अपील पेश करने पर राजस्व अपील प्राधिकरण जोधपुर ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.06.2012 को खारिज करते हुए दोनों पक्षकारान को पुनः सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया। प्रतिवादी पन्नालाल द्वारा दिनांक 08.11.2013 को धारा 212, आर.टी. एक्ट के तहत स्थगन प्रार्थना–पत्र व काउण्डटर क्लेम वाद प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 09.11.2013 को स्थगन प्रार्थना–पत्र पर

लगातार...

टी पढाओं।

एकपक्षीय स्थगन आदेश मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया। प्रकरण सं. 24/2017 में मोनिका व ललिता द्वारा पक्षकार बनाने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 29.06.17 को **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2017** में पक्षकारों को नोटिस जारी कर प्रकरण में सुनवाई की गई तथा मोनिका व ललिता के पक्षकार बनाने का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया व प्रतिवादी पन्नालाल के कायममुकाम को रिकॉर्ड पर लेने व अप्रार्थी हंजा उर्फ मथुरा का नाम हटाने के दोनों प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये गये व पत्रावली को काउन्टर वाद की पोषणीयता पर बहस करने हेतु दिनांक 10.08.17, 05.09.17, 18.09.17, 06.10.17, 09.10.17, 11.10.17 व 24.10.17 को समय पन्नालाल के कायममुकाम द्वारा चाहा गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थीपक्ष द्वारा वाद सं0 24/2017 की प्रस्तुत आदेशिकाओं की फोटो प्रतियों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि पेशी के लिए नियत तारीख 10.08.17 के बजाय दिनांक 08.05.17 पेशी पर ली गई तथा उस दिन भी पेशी दिनांक 29.06.17 कांटछांट युक्त लिखी गई तथा आदेशिका दिनांक 29.06.17 पर भी कांटछाट लिखते हुए कथित आदेश पारित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि आदेशिका दिनांक 08.05.17 सीलयुक्त में तारीख पेशी में बदलाव करने का प्रयास किया गया। अतः प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किसी अधिकारी के प्रति अविश्वास व्यक्त होने पर किसी प्रकरण को आगे की सुनवाई उसी अधिकारी के पास रहने से पक्षकार को न्याय नहीं मिलने की हमेशा संभावना बनी रहती है अतः न्यायहित में सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद प्रकरण सं0 146/2011 (24/2017) ओमदत्त के कायममुकाम व अन्य बनाम पन्नालाल के कायम मुकाम व अन्य, राजस्व विविध स्थगन प्रार्थना–पत्र 166/2013 (23/2017) पन्नलाल के कायममुकाम बनाम ओमदत्त के कायम मुकाम व अन्य, राजस्व वाद सं. 83/2016 श्रीमती मोनिका सोलंकी बनाम सुरेन्द्रसिंह व अन्य तथा राजस्व विविध स्थगन प्रार्थना–पत्र सं0 82/2016

लगातार...

श्रीमती मोनिका सोलंकी बनाम सुरेन्द्रसिंह व अन्य को सुनवाई के लिए सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) लूणी को मुंतकिल करने का आदेश दिया जाता है। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) लूणी को निर्देश दिये जाते है कि उक्त प्रकरणों में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए छः माह में विधिवत निर्णय पारित करें। उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उक्त प्रकरण सुनवाई के लिए उपखण्ड अधिकारी लूणी को शीघ्र प्रेषित करें। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ प्रेषित हो।